नगर निगम, शाहजहॉपुर।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.10.2020

- नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर वासियो से स्वकर निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत अपने घर एवं प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में देय कर की गणना स्वयं करने की अपील की गई
- नगर आयुक्त महोदय द्वारा मो0 मामूड़ी में रास्ते एवं जल जमाव की समस्या का संज्ञान होने पर उसके निस्तारण हेतु नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियो को तत्काल मौके पर भेजा गया।

1. नगर निगम,शाहजहॉपुर में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू है। इसके अन्तर्गत शहर के नागरिक अपने घर एवं प्रतिष्ठानो के सम्पूर्ण विवरण को स्वकर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र–क में भरकर नगर निगम,शाहजहॉपुर में जमा कर सकते है। इस प्रपत्र में भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा भवन संख्या के साथ अपना नाम एवं पता दर्ज किया जाता है। भवन के सम्बन्ध में निर्मित कमरो तथा आच्छादित बरामदों, बालकनी,कारीडोर,गैराज,रसोई,भण्डार गृह आदि का क्षेत्रफल वर्ग फुट में दर्ज किया जाता है। स्नानगृह,शौचालय,पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल शामिल नही किया जाता है। आवासीय अथवा व्यवासायिक प्रतिष्ठानो के स्वकर गणना हेतु निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त निर्माण से अनाच्छादित भाग को अलग से दर्शाया जाना है। जिन आवासीय भू–खण्डो पर कोई निर्माण नही हुआ उसमें कर की गणना केवल भू–खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। कर की गणना में सम्बन्धित भवन की स्थिति का भी महत्व है। मार्ग की चौड़ाई तीन श्रेणियो में विभाजित है, जो 10 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग, 05 से 10 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग तथा 05 मीटर से कम चौड़े वाले मार्ग है। सम्बन्धित भवन के निर्माण की प्रकृति यथा पक्का भवन आर0सी0सी0छत अथवा आर0बी छत,कच्चा भवन अथवा अन्य पक्का से निर्मित भवन दर्ज किया जाना होता है। इस प्रपत्र में भवन का निर्माण वर्ष भी अंकित करना होता है। भवन में रहने वाले किरायेदारो के नाम मासिक किराये के साथ दर्ज किया जायेगा। भवन के वार्षिक मूल्यांकन का 11 प्रतिशत गृहकर तथा गृहकर के समतुल्य जलकर निर्धारित होता है। इस प्रकार वार्षिक मूल्यांकन का 22 प्रतिशत धनराशि गृहकर एवं जलकर के रूप मे देय होती है,जिन भवन स्वामियों द्वारा जल संयोजन कराया गया है। उन्हे प्रतिवर्ष 900 रू0 जलमूल्य लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि आवासीय भवनो के सम्बन्ध में शासन द्वारा भवन की उम्र के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन पर छूट दी गयी है। जिसके अन्तर्गत – 0 से 10 साल के आवासीय भवनो पर 25 प्रतिशत, 10 से 20 साल तक के आवासीय भवनो पर 32.50 प्रतिशत एवं उससे ऊपर की अवधि के आवासीय भवनो पर 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। अनुमन्य छूट प्राप्त किये जाने हेतु भवन की अवधि के सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा मान्य अभिलेखीय साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानो एवं कार्यालयो सहित अनावासीय भवनो एवं परिसरो का वार्षिक मूल्यांकन उसी श्रेणी के आवासीय भवन का 5 से 6 गुना तक होता है तथा इस पर कोई छूट अनुमन्य नही है।

2 आज प्रातःकाल मो0 मामूड़ी में रास्ते एवं जल जमाव की समस्या का संज्ञान होने पर नगर आयुक्त महोदय ने समस्या के निस्तारण हेतु सहायक नगर आयुक्त श्रीमती रश्मि भारती, एवं श्री अंगद गुप्ता तथा अधिशासी अभियन्ता श्री मोद नरायण झा, अवर अभियन्ता श्री मनोज कुमार को मौके पर भेजा गया। प्रकरण के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित मोहल्ला मामूड़ी निकट चौकी हददफ वशीर मेम्बर वाली गली में अनियोजित प्लाटिंग कर मकान बनाये गये है। जिसमें जल निकासी की व्यवस्था पूर्व से नही की गई है। इसके पूर्व के वर्षो में मकानो से हुई जल निकासी आस–पास के खाली प्लाटों मे जा रही थी। वर्तमान में लगभग प्लाटो मे मकान बन चुके है तथा खाली प्लाट मालिको द्वारा अपने प्लाटो में दीवार उठा दी गई है, जिससे उक्त जल निकासी बन्द हो गई है तथा सड़क पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थलीय निरीक्षण पर पाया गया कि नाली द्वारा जल निकासी का एक भी माध्यम नही है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा समस्या के स्थाई समाधान हेतु मुख्य अभियन्ता को जल निकासी का उचित समाधान कराये जाने हेतु तकनीकी जॉच उपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देशित किया गया है।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम,शाहजहॉपुर